

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 25B/2018-19

1.सुदर्शन महतो 2. ज्योत्सना महतो बनाम गुरुवारी महतो

अभ्युक्ति

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

25-08-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1427 दिनांक 01.08.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 25B/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1.सुदर्शन महतो पिता स्व0 रमेश महतो, सा0-रंगपुर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ 2. श्रीमति ज्योत्सना महतो उर्फ जुसन महतानी पति-श्री जयदेव महतो, सा0-मानिक बाजार, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता गुरुवारी महतो पति-श्री रोहिना महतो, ग्राम-महुलडीह, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकबा
किता	273	42	105	0.27ए0
			106	0.11ए0
			154	0.43 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ए0
पारलपोसी	304	78	02	0.57ए0
<b>कुल-</b>				<b>1.38.5ए0</b>

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि जमाबंदी रैयत द्वारा क्रय की गयी भूमि है। जमाबंदी रैयत कलावती महतानी की मृत्यु उपरांत उनके पति अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। जिसमें से 1.38.5 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 5.65.5 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही बिक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 1.38.5एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
सरायकेला।